चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम ने चोरी के आरोपी अभियुक्त को चोरी के छैल चूड़ी 04 अदद सफेद धातु,बच्चो के पैर हाथ के चुरवा 04 अदद सफेद धातु, झुमकी 01 जोडी सफेद धातु, अगूठी हाथ की 02 अदद सफेद धातु,बिछिया 04 अदद सफेद धातु, 01 अदद लॉकेट पीली धातु व 1000/- रूपया नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शिवाकान्त उर्फ सोनू पुत्र नथूवा निषाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-

रगौली मोड़ से करीब 80 कदम की दूर रगौली गांव की तरफ रोड़ पर,दिनांक 06.02.2026 समय 20.50 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय दिनांक 06.02.2025 को वादिया श्रीमती कलावती पत्नी राजा बाबू निषाद निवासी ग्राम रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 04.02.2026 को वादिया अपने ननद के घर मऊ चली गयी थी इसी बीच समय करीब 04 बजे दिन घर के पीछे की तरफ से गाँव का ही शिवाकन्त उर्फ सोनू पुत्र नथुवा निषाद दरवाजा का ताला तोडकर घर के अन्दर घुस गया और वक्से का ताला तोड कर चाँदी के छैल चुडी 4 नग, बच्चो के 04 चुडी चाँदी की, विछिया 04 नग चाँदी के, 2 अगुठी चाँदी, 2 नग चांदी के झुमक व एक अदद सोने का माला तथा 6000 रूपया नगद चुरा कर भाग रहा था कि एक महिला ने देख लिया । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 26/2026 धारा 331(3),305ए बी0एन0एस बनाम शिवाकान्त उर्फ सोनू पुत्र नथूवा निषाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

दिनाँक 06.02.2026 को उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र तिवारी थाना राजापुर व उनकी टीम कस्बा राजापुर का भ्रमण करते हुए छीबो रोड़ पर मामूर थे कि जरिये मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम रगौली में हुई चोरी का अभियुक्त शिवाकान्त उर्फ सोनू रगौली मोड़ पर खड़ा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबीर की बात पर विश्वास कर मुखबीर को साथ लेकर चल दिये कि जैसे ही रगौली मोड़ के पास पहुचे कि गाड़ी की लाइट की रोशनी में रगौली मोड़ के दाहिने तरफ एक व्यक्ति खड़ा दिखायी दिया कि मुखबीर ने गाड़ी रोकने का इसारा किया तथा खड़े व्यक्ति की ओर इसारा करके बताया कि साहब यह वही व्यक्ति शिवाकान्त उर्फ सोनू है, जिसकी आप तलाश कर रहे है। मुखबीर बताकर गाडी से उतर कर पीछे की ओर चला गया । उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र तिवारी व उनकी टीम द्वारा एक बारगी दविश देकर घेरकर हमराही कर्मचारीयों की मदद से रगौली मोड़ से करीब 80 कदम की दूरी रगौली गांव की तरफ रोड़ पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम शिवाकान्त उर्फ सोनू पुत्र नथूवा निषाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट बताया तथा पहने हुए जिन्स के पैन्ट की बायी जेब से एक पन्नी में बचे हुए कुछ आभूषण सफेद धातु व एक नग आभूषण पीली धातु के बरामद हुए पन्नी से निकालकर आभूषण को देखा गया तो छैल चूडी 4 अदद सफेद धातु, बच्चो के हाथ पैर के चुरवा 4 अदद सफेद धातु, झुमकी एक जोडी सफेद धातु, अगूठी हाथ की 2 अदद सफेद धातु, बिछिया 04 अदद सफेद धातु व एक अदद लाकेट पीली धातु जिसके माले में पीली धातु की मोती लगी है बरामद हुआ तथा पहने हुए जिन्स से 01 हजार रूपया नगद बरामद हुआ । बरामद आभूषण व रूपयों के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछा गया तो बताया कि साहब लालच में आकर मैने दिनांक 04.02.26 को अपने ही गांव के राजाबाबू निषाद के घर में शाम के समय घर में घूस गया था और घर मे घूसकर कमरे व बक्से का ताला तोड़कर यही जेवरात व करीब 4500/- रूपया चोरी करके भाग गया था । आज यही जेवरात बेचने हेतु बाहर जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया । चोरी किये गये रूपयो के सम्बन्ध मे पूछा गया तो बताया कि साहब इधर उधर भागने व खाने पीने में खर्चा हो गया। बरामद आभूषण की तस्दीक हेतु वादिया के मो0नं0 पर सम्पर्क कर रगौली मोड़ पर आने हेतु कहा गया तो करीब 1/2 घंटे के बाद वादिया मुकदमा अपने पति राजाबाबू के साथ उपस्थित आयी आभूषण व अभियुक्त को देखते ही कहा कि साहब यही मेरे जेवरात है। जेवरात बरामद करते हुए अभियुक्त को समय 20.50 बजे गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र तिवारी थाना राजापुर

2.आरक्षी राहुल यादव
3.आरक्षी आरक्षी पवन कुमार